ज. सू. अधि. 2005
पंजी. क्र. 78
दि. 05/8/2013
(लोक सूचना अधिकारी)

जांच प्रतिवेदन

(अभिलिखित दिनांक 05.02.2014)

आवेदक श्री ए0एन0 पाण्डेय, अध्यक्ष मजदूर यूनियन एवं सामाजिक कार्यकर्ता निवासी– नमनाकला वार्ड कमांक–11 अम्बिकापुर, जिला सरगुजा द्वारा आयुक्त सरगुजा संभाग के समक्ष यह शिकायत की गई कि:–

1– अनावेदक ललितेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव आ0 श्री सुमेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव निवासी फुन्दुरूडिहारी महुआपारा मूलतः उत्तरप्रदेश के निवासी हैं, जो राजनैतिक संरक्षण प्राप्त कर जल संसाधन संभाग कमांक–01 के उप संभाग–02 में टाईम कीपर/समयपाल के पद पर फर्जी रूप से स्थाई शासकीय नौकरी प्राप्त कर लिए हैं।

2– यह कि अनावेदक अपना परिचय सरस्वती शिक्षा संस्थान के सम्भागीय सचिव के रूप में देता है। इंटर मिडिएट थर्ड डिवीजन पास को सरस्वती शिक्षा संस्थान के सम्भागीय सचिव तथा अरण्य जन कल्याण समिति का सचिव होना संदेहास्पद है।

3– सरस्वती शिशु मंदिर सीतापुर के नाम से विगत 3 वर्षों से 3–3 लाख रूपये अनुदान राशि प्राप्त किया है। जबकि यह संस्थान सीतापुर में संचालित नहीं है। इसी प्रकार अरण्य जन कल्याण समिति के नाम से भी अनुदान प्राप्त किया गया है।

4– ग्राम डीपाडीहकला में करोड़ों रूपये मूल्य का शासकीय एवं धर्मदाय की भूमि का अवैध रूप से हस्तान्तरण कराया गया है। राजनेताओं एवं शासन/प्रशासन को गुमराह कर करोड़ों रूपये की सम्पत्ति बनाया है। अतः उपरोक्त तथ्यों की जॉचं हेतु निवेदन किया गया है। उक्त शिकायत पत्र **परिशिष्ट "एक"** संलग्न है।

उक्त शिकायत की जांच हेतु आयुक्त महोदय द्वारा आदेशित किए जाने पर मेरे द्वारा जांच की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। शिकायत के विन्दुओं पर अनावेदक श्री ललितेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव आ0 श्री सुमेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव से भी स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है। जिसमें उन्होने शिकायत के सभी तथ्यों को अस्वीकार किया है। स्पष्टीकरण परिशिष्ट "दो" संलग्न है।

मेरे द्वारा दिनांक 03.09.2013 को सीतापुर में सरस्वती शिशु मंदिर शाला का निरीक्षण किया गया। उक्त संस्था वर्तमान में सीतापुर में संचालित नहीं है। बल्कि ग्राम देवगढ़ जो सीतापुर से लगभग 06 किमी. दूर सीतापुर–अम्बिकापुर मुख्य सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 01 कि.मी. अंदर दक्षिण की ओर निजी भवन खपड़ापोष में संचालित है। उक्त संस्था में कार्यरत प्रधान अध्यापिका कु0 सोनधारी भगत निवासी ग्राम देवगढ़ का शपथपूर्वक कथन दर्ज किया गया। **परिशिष्ट "तीन"** संलग्न है। उन्होंने बताया कि उसे प्रधान पाठक के पद पर कार्य करने हेतु मौखिक

आदेश दिया गया है, लिखित आदेश उसे नहीं दिया गया है। स्कूल की सम्पूर्ण व्यवस्था देखना एवं बच्चें को पढ़ाने की जिम्मेदारी उसे दी गई है। उसके अतिरिक्त अन्य चार शिक्षक पदस्थ हैं। उनको भी मौखिक आदेश से रखा गया है। उसको तथा अन्य चार शिक्षकों द्वारा वेतन के रूप में जो राशि प्राप्त की गई है, उसका रजिस्टर बनाया गया है। उक्त रजिस्टर को दिखाया गया। जिस–जिस माह में नाम के समक्ष रिक्त स्थान है, उस माह का वेतन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। कु0 भगत द्वारा आगे बताया गया कि पहले यह संस्था सीतापुर में लगाया जाता था। वहां पर नया बिल्डिंग बन रहा है। इसलिए संस्था को देवगढ़ में लगाया जा रहा है।

शासन द्वारा संस्था को एक मुश्त अनुदान कलेक्टर सरगुजा (आदिवासी विकास) अम्बिकापुर के आदेश कमांक/अनुदान/आ.वि./2010–11/3264 दिनांक 30.04.2011 **परिशिष्ट "चार"** संलग्न है। द्वारा वर्ष 2010–11 के लिए सरस्वती शिशु मंदिर सीतापुर को 3.00 लाख एवं आदेश कमांक/छात्रावास/आ.वि./2012–13/3411 दिनांक 5.5.2012 **परिशिष्ट "पांच"** अनुसार वर्ष 2011–12 हेतु निम्न संस्थाओं के नाम से अनुदान स्वीकृत किया गया है:–

1.प्रबंधक सरस्वती शिशुमंदिर आवासीय विद्यालय डीपाडीहकला शंकरगढ़ 3.00 लाख
2. प्रबंधक सरस्वती शिशु मंदिर सीतापुर 3.00 लाख
3. प्रबंधक सरगुजा अरण्य जन कल्याण समिति सरगुजा 3.00 लाख

इसी प्रकार छ0ग0शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश कमांक/एफ–16–175/2812/25–2 दिनांक 11.07.2013 **परिशिष्ट "छः"** द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत किया गया है:–

1. सरस्वती शिशु मंदिर आवासीय विद्यालय डिपाडीह 3.00 लाख
2. सरस्वती शिशु मंदिर सीतापुर 3.00 लाख
3. अरण्य जनकल्याण समिति जिला–सरगुजा 3.00 लाख

उक्त संस्थावार विद्यालय की विवेचना निम्नानुसार है:–

1. शासन द्वारा अनुदान सरस्वती शिशु मंदिर आवासीय विद्यालय डीपाडीह को अनुदान स्वीकृत किया गया है। जबकि छ0ग0 सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (सन् 1973 का नियम 44) के अधीन सरगुजा अरण्य जन कल्याण समिति मु. पो. सत्तीपारा अम्बिकापुर का दिनांक 20.12.2006 को पंजीयन किया गया है। जिसका पंजीयन कमांक 5701 है। **परिशिष्ट "सात"** संलग्न हैं।

2. इसी प्रकार सीतापुर में सरस्वती शिशु मंदिर सीतापुर को अनुदान स्वीकृत किया गया है। जबकि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत सीतापुर बाल कल्याण समिति सीतापुर का पंजीयन किया गया है। जिसका पंजीयन कमांक 61 दिनांक 08.08.1991 है। **परिशिष्ट "आठ"** संलग्न है।

Scanned with CamScanner

(4) (27)

3. सरगुजा अरण्य जन कल्याण समिति सरगुजा को भी शासकीय अनुदान स्वीकृत किया गया है। किन्तु अनावेदकों द्वारा सरगुजा अरण्य जन कल्याण समिति द्वारा ही डीपाडीह की संस्था का संचालन बताया गया है। इस प्रकार एक ही संस्था को पृथक–पृथक नाम से दो–दो राशि 3–3 लाख रूपये प्रति वर्ष अनुदान स्वीकृत हुआ है। किन्तु दोनों संस्थाओं का पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक 5701 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है।

सरस्वती शिशु मंदिर सीतापुर एवं सरगुजा अरण्य जन कल्याण समिति को प्राप्त अनुदान की चार्टेड एकाउंटेंट की आडिट रिपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। जिसमें दोनों संस्थाओं को कुल 3–3 लाख की आय एवं व्यय का उल्लेख है। किन्तु सरस्वती शिशु मंदिर आवासीय विद्यालय डिपाडीह की आडिट रिपोर्ट अवधि 01.4.2009 से 30.09.2009 तक आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है। **परिशिष्ट "नौ"** संलग्न है।

अर्थात् उक्त क्र. 1 एवं 3 के लिए एक ही पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। साथ ही संचालित संस्थाओं के नामों एवं पंजीयन प्रमाण पत्र में उल्लेखित संस्था के नामों में भिन्नता है।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि चूंकि **सरस्वती शिशु मंदिर आवासीय विद्यालय डिपाडीह एवं सरगुजा अरण्य जन कल्याण समिति सरगुजा** दोनों को ही 3–3 लाख अनुदान स्वीकृत हुआ है और स्वीकृत राशि का भुगतान भी दोनों सत्र 2010–11 एवं 2011–12 हेतु कुल 6–6 लाख रूपये हुआ है। अतः इन दोनों संस्थाओं में से एक संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध क्यों नहीं है और इन संस्थाओं को शासकीय मान्यता प्राप्त हुई है अथवा नहीं इसका भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी प्रकार सीतापुर बाल कल्याण समिति सीतापुर का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका पंजीयन क्रमांक 61 दिनांक 08.08.1991 है। जबकि सीतापुर अर्थात देवगढ में सरस्वती शिशु मंदिर संस्था संचालित है। **इस प्रकार स्थल पर संचालित संस्थाओं के नामों से भिन्न नाम की संस्थाओं के पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जो समझ से परे हैं।**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत–शंकरगढ़ द्वारा आवेदक को सबोधित जानकारी **परिशिष्ट "दस"** अनुसारः–

–– ..सरस्वती शिशु मंदिर डिपाडीह कला आवासीय विद्यालय अतिरिक्त कमरों का निर्माण हेतु सांसद/विधायक निधि से निम्नलिखित चेक द्वारा राशि आवंटित की गयी हैः–

चेक क0 –611365 राशि 1.50 लाख दिनांक 31.12.2007
चेक क0 –750065 राशि 1.00 लाख दिनांक 13.08.2008
चेक क0 –750067 राशि 2.00 लाख दिनांक 27.10.2008

Scanned with CamScanner

-- सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल डिपाडीहकला का विद्यालय भवन निर्माण भाग–2 हेतु चेक क0 –0611779 राशि 1.50 लाख दिनांक 17/06/2008
-- सरस्वती शिशु मंदिर डिपाडीहकला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु चेक क0 –0611771 राशि 1.00 लाख दिनांक 08/04/2008
-- सरस्वती शिशु मंदिर डिपाडीहकला हाई स्कूल का विद्यालय भवन निर्माण भाग–1 हेतु चेक क0 –0611771 राशि 1.50 लाख दिनांक 08/04/2008

जबकि छ0ग0शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अशासकीय संस्था अनुदान नियम 2006 के भाग–दो की कंडिका (8) अनुसार "कोई संस्था उसी उद्देश्य/गतिविधि/प्रवृत्ति हेतु, जिसके लिए, विभाग द्वारा अनुदान सहायता प्रदत्त की गई है, छत्तीसगढ शासन के अन्य किसी विभाग से अनुदान सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगी।" अनावेदक द्वारा सीतापुर एवं डिपाडीह में संचालित संस्थाओं के नामों से भिन्न नाम की संस्थाओं का दो प्रति पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। किन्तु वह पंजीयन जीवित है अथवा नहीं, इस बावत् कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि "छ0ग0शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अशासकीय संस्था अनुदान नियम 2006 के भाग–एक में दी गई व्याख्या की कण्डिका (7) अनुसार"संस्था" से अभिप्रेत है कि राज्य में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक उत्थान संबंधी गतिविधियों में रत अशासकीय संस्था, जो तत्समय प्रवृत्त विधि या विधियों के अधीन पंजीकृत हो एवं जिसका पंजीयन जीवित हो।" भाग–दो अनुदान स्वीकृति की प्रारंभिक शर्तो की शर्त कमांक 3 (.....) अनुसार "5 वर्ष पूर्व पंजीकृत हो तथा आवेदन तिथि को जिसका पंजीयन जीवित हो।" शासन की अनुमति के बिना अन्य किसी विभाग से अनुदान प्राप्त नहीं करेगी।

संस्था द्वारा व्यय की गई अनुदान राशि के व्यय संबंधी व्हाउचर जो निर्माण सामग्री इत्यादि से संबंधित है, कुल 48 भुगतानशुदा व्हाउचरों की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं, परिशिष्ट "ग्यारह" के अवलोकन से पाया गया है कि उक्त देयक जिन फर्मो द्वारा प्रदाय किए गए हैं, उनके देयकों में किसी भी फर्म का रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नहीं है, इसी प्रकार देयकों में टिन नम्बर भी अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि शासन को आय कर एवं खनिज रायल्टी इत्यादि करों की हानि हुई है।

व्यवस्थापक सरस्वती शिशु मंदिर सीतापुर का एक पत्र कमांक 01/2009 दिनांक 01.07.2009 की छाया प्रति परिशिष्ट "वारह" प्रकरण के साथ संलग्न है। जिसके अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर को सूचित किया गया है कि "छात्र संख्या की कमी के कारण सरस्वती शिशु मंदिर सीतापुर को 01.07.2009 से

Scanned with CamScanner

सत्र 2009–10 के लिए वंद कर दिया गया है।" जबकि प्रकरण में श्री राजनारायण सिंह, खण्ड शिक्षा अधिकारी सीतापुर का प्रपत्र "अ" एवं "ब" में निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 05.06.2010 परिशिष्ट "तेरह" जो सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अम्बिकापुर के पत्र कमांक/छात्रावास/आ0वि0/2013–14/2470 दिनांक 07.08. 2013 के साथ प्राप्त हुआ है, के कालम नम्बर 05 में अध्ययनरत छात्रों का विवरण संलग्न बताया गया है और इस विवरण में केजी–1 से कक्षा 8वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के गोश्वारा में अ0जा0/अ0ज0जा0/अन्य पि0वर्ग/सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की दर्ज संख्या बताई गई है तथा प्रपत्र "ब" के कालम नम्बर 15 एवं 16 में विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने का परीक्षाफल दर्शाया गया है। जबकि व्यवस्थापक द्वारा वर्ष 2009–10 में संस्था को वंद होना जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर को प्रतिवेदित किया गया है।

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी शंकरगढ के प्रतिवेदन दिनांक शून्य परिशिष्ट "चौदह" के आधार पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अम्बिकापुर द्वारा शासन को अनुशंसा प्रेषित की गई है। जबकि इसके पूर्व प्रेषित की गई जानकारी परिशिष्ट "पन्द्रह" में सहायक आयुक्त द्वारा सरगुजा अरण्य जन कल्याण समिति अम्बिकापुर की अम्बिकापुर में कोई भी गतिविधि संचालित नहीं होने के कारण अनुशंसा योग्य नहीं माना गया है।

अब प्रकरण में मुख्य रूप से यह देखना है कि सरस्वती शिक्षा संस्थान (पैतृक संस्था) के अधीन अविभाजित सरगुजा जिला में कितनी संस्थाऐं संचालित हैं, प्रकरण में उपलब्ध जानकारी के अनुसार अविभाजित सरगुजा जिला में निम्नानुसार संस्थाऐं संचालित हैं:–

क0	संस्था का नाम/स्थान	पंजीयन कमांक/दिनांक
1	2	3
1	अरण्य जन कल्याण समिति सतीपारा, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (कार्यक्षेत्र अविभाजित जिला सरगुजा एवं जिला कोरिया)	पंजीयन क0 5701 दिनांक 20.12.2006
2	सीतापुर बाल कल्याण समिति सीतापुर	पंजीयन क0 61 दिनांक 08.08.1991
3	ग्राम भारती सरगुजा– सरस्वती शिशु मंदिर अम्बिकापुर तह0 अम्बिकापुर जिला सरगुजा	पंजीयन क0 2458 दिनांक 31.03.1999
4	सरस्वती शिशु मंदिर सीतापुर	पंजीयन का अभिलेख प्रस्तुत नहीं
5	सरस्वती शिशु मंदिर डीपाडीहकला	पंजीयन का अभिलेख प्रस्तुत नहीं

जन सूचना अधिकारी

Scanned with CamScanner

(30) (7) (6)

6	सरगुजा अरण्य जन कल्याण समिति वनवासी छात्रावास डीपाडीहकला	पंजीयन का अभिलेख प्रस्तुत नहीं

उक्त तालिका अनुसार सरल क्रमांक 04, 05 एवं 06 की संस्था के पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है। जिससे प्रथम दृष्टया संस्थाओं का नाम बदल–बदल कर एक ही पंजीयन के नाम पर शासन से अनुदान प्राप्त करना प्रतीत होता है।

इस शिकायत प्रकरण में मुख्यतः श्री ललितेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव जो जल संसाधन विभाग में टायमकीपर/समयपाल के पद पर पदस्थ थे तथा वे दिनांक 01.07.2013 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं, को शिकायतकर्ता द्वारा निम्नानुसार पदों पर उक्त शिक्षा संस्थानों के लिए विधिप्रतिकूल पदाधिकारी नियुक्त होना बताया गया हैं:–

1– सरस्वती शिक्षा संस्थान सरगुजा संभागीय सचिव
2– सरस्वती शिशुमंदिर सीतापुर का व्यवस्थापक
3– अरण्य जन कल्याण समिति का सचिव
4– आर0एस0एस0 संघा का पदाधिकारी

अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कुसमी द्वारा अपने प्रतिवेदन क्रमांक 2229/वा./अ.वि.अ./2012 दिनांक शून्य की छायाप्रति परिशिष्ट "सोलह" आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है, अनुसार ग्राम डीपाडीहकला की भूमि खसरा क्रमांक 1690, 1693, 1695, 1696/1 एवं 1701/1738 रकबा क्रमशः 0.590, 0.235, 0.354 एवं 0.178 है जो वर्ष 2009–10 तक शासकीय अभिलेखों में दर्ज थी। जिसको तत्कालीन नायब तहसीलदार शंकरगढ़ श्री नारायण प्रसाद सेनी (सेवानिवृत्त) द्वारा अपने पदीय अधिकार का दुरूपयोग करते हुए गलत विवेचना कर मनमाना आदेश पारित करते हुए सरस्वती शिक्षा संस्था को लाभ पहुंचाया गया है। श्री सेनी ने माननीय चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के न्यायालय में व्यवहारवाद क्रमांक 17 ए/2008 में पारित निर्णय दिनांक 7.5.2010 को आधार मानते हुए आदेश पारित किया गया है। उसमें कहीं पर भी सरस्वती शिक्षा संस्थान का नाम दर्ज करने तथा छ0ग0 शासन हेतु कलेक्टर सरगुजा का नाम विलोपन हेतु निर्देशित नहीं किया गया है। अतः अक्तानुसार नायब तहसीलदार के दोषी माना गया है। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा बताया गया है कि भूमि से संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 145/2010 विचाराधीन है, निर्णय अपेक्षित है। अतएव ऐसी स्थिति में भूमि के संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

जन सूचना अधिकारी
आयुक्त कार्या. सरगुजा संभाग अम्बिकापुर

Scanned with CamScanner

सीतापुर बाल कल्याण समिति सीतापुर जो सरस्वती शिशु मंदिर सीतापुर संस्था के नाम से संचालित है, की प्रबंध कारिणी समिति में कुल 7 सदस्य हैं। जिनमें से श्री पूरन सिंह, सह सचिव संभवतः अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। शेष सभी सदस्य सामान्य वर्ग के हैं। छ0ग0 शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के आर्थिक परम्परागत मूल संस्कृति, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान के उद्देश्य से अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए बनाए गए नियम "अशासकीय संस्था अनुदान नियम 2006" के भाग–2 की कंडिका (III) के अनुसार अनुदान पाने की पात्रता हेतु संस्था में 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का होना अनिवार्य है, उनमें से न्यूनतम 3 सदस्य संस्था के पदाधिकारी भी होना आवश्यक होगा। अतः उक्त संस्था को अनुदान पाने की पात्रता नहीं है।

सरस्वती शिशु मंदिर सीतापुर को वर्ष 2009–10 में दिनांक 01.07.2009 से बंद कर दिया गया तथा संस्था में दर्ज छात्रों को सरस्वती शिशु मंदिर खड़गाव जो विकास खण्ड मैनपाट में आता है, स्थानांतरित किया जाना, पूर्व प्रधानाचार्य श्री कृष्ण मोहन निगम द्वारा लिखित में जानकारी दी गई है। वर्तमान में जो संस्था देवगढ में लगायी जा रही है, उसे खडगवां से स्थनांतरित होना बताया जा रहा है, किन्तु यह सब जानकारियों भ्रमित करने बाली प्रतीत होती हैं। सीतापुर में सरस्वती शिशु मंदिर नाम से कोई संस्था वर्तमान में संचालित नहीं है।

संस्था को वर्ष 2010–11 एंव 2011–12 में 3–3 लाख का अनुदान सहायता प्रदान की गई है। दोनों वर्षों में प्राप्त अनुदान का उपयोग शैक्षणिक गतिविध्रियों के लिए नहीं किया जाकर भवन निर्माण में किया गया। जो कि अशासकीय संस्था अनुदान नियम 2006 के भाग–4 की कंडिका–12 का स्पष्ट उलंघन है।

अनुदान राशि से भवन का निर्माण ग्राम सीतापुर, प.ह.नं. 21 (अ) तहसील सीतापुर में स्थित भूखंड ख.नं. 935/1 एंव 936/1 पर भू–स्वामी श्री सुनील अग्रवाल आ0 पुरषोत्तम अग्रवाल निवासी ग्राम प्रतापगढ़ द्वारा श्री ललितेश्वर श्रीवास्तव आ0 स्व0 श्री सुमेश्वर श्रीवास्तव सचिव अरण्य जनकल्याण समिति अम्बिकापुर को दान पत्र **परिशिष्ट "सत्रह"** के माध्यम से दी गई भूमि पर किया गया है।

श्री ललितेश्वर श्रीवास्तव, सीतापुर बाल कल्याण समिति जो कि सरस्वती शिशु मंदिर सीतापुर का संचालन करते है, का न तो सदस्य है और न हीं कोई पदाधिकारी है। अतः स्पष्ट है कि जिस समिति को अनुदान प्राप्त हुआ है उसका उपयोग दूसरे समिति के पदाधिकारी के नाम भू–खंड में भवन निर्माण हेतु किया गया है।

Scanned with CamScanner

(32) (9) (8)

सरस्वती शिशु मंदिर सीतापुर के लेटर पैड, जिस पर प.क. वि–2124 दिनांक 7.3.1992 अंकित है, में श्री ललितेश्वर श्रीवास्तव द्वारा व्यवस्थापक, सरस्वती शिशु मंदिर देवगढ़ की सील पर हस्ताक्षरयुक्त पत्र क्रं. 17/2012/दिनांक 24.4.12 परिशिष्ट "अठारह" अनुदान सहायता हेतु सहायक आयुक्त आदिवासी (विकास) अम्बिकापुर को जारी किया गया है। जबकि इसके लिए श्री श्रीवास्तव अधिकृत नहीं है।

सरस्वती शिशु मंदिर आवासीय विद्यालय डीपाडीह संस्था का निरीक्षण दिनांक 02.01.2014 को किया गया है। संस्था का संचालन "ग्राम भारती सरगुजा" द्वारा किया जाना बताया गया। जिसका पंजीयन क्रं. 2458 दिनांक 21.3.1999 है। संस्था की प्रबंधकारिणी समिति में कुल 11 सदस्य है जिनमें श्री पदुम सिंह, उपाध्यक्ष ही संभवतः अनुसूचित जाति वर्ग के है। जबकि शेष सभी 10 सदस्य सामान्य वर्ग के हैं। अतः अशासकीय संस्था अनुदान नियम 2006 के अनुसार इस संस्था को अनुदान प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। संस्था को वर्ष 2010–11 एंव 2011–12 में रू. 3–3 लाख का अनुदान प्राप्त हो चुका है। वर्ष 2010–11 के आडिट रिपोर्ट में रू. 5.00 लाख अनुदान प्राप्त होना दर्शित है तथा राशि का उपयोग लाईब्रेरी एंव लेबोट्री भवन निर्माण, खेल मैदान समतलीकरण एंव छात्रावास हेतु फर्नीचर पर किया जाना दर्शित है। जबकि छात्रावास का संचालन दूसरी संस्था अर्थात् अरण्य जन कल्याण समिति सरगुजा द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2011–12 में प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग टायलेट एवं बाउण्ड्री वाल निर्माण में किया गया है। इस प्रकार प्राप्त अनुदान राशि का अन्य मदों में उपयोग किया जाना पाया गया है।

वनवासी बालक छात्रावास का संचालन ग्राम डीपाडी में सरस्वती शिशु मंदिर डीपाडीह के बगल में किया जा रहा है। वनवासी बालक छात्रावास डीपाडी का संचालन करने वाली समिति अरण्य जन कल्याण समिति सरगुजा को बताया गया। जिसे वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में 3–3 लाख रू. का अनुदान प्राप्त हुआ है। अनुदान राशि का उपयोग टायलेट एवं बाउण्ड्री वाल निर्माण में किया गया है। जो अनुचित है। संस्था के प्रबंधकारिणी समिति में कुल 7 सदस्य हैं। जिनमें श्री मुरारी लाल सिंह अध्यक्ष ही अनुसूचित जनजाति वर्ग के थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। जबकि शेष सभी सामान्य वर्ग के सदस्य हैं। अतः विभाग के अशासकीय संस्था अनुदान नियम–2006 के अनुकूल नहीं होने से संस्था को अनुदान पाने की पात्रता नहीं है। संस्था द्वारा संचालित छात्रावास में कुल 127 छात्र दर्ज है। जिनमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के 74, अनुसूचेत जाति वर्ग के 17, अन्य पिछड़ा वर्ग के 38 एवं सामान्य वर्ग के 4 छात्र हैं, परिशिष्ट "उन्नीस" संलग्न है। छात्रावासी छात्रों से प्रतिमाह भारी भरकम शुल्क लिया जाकर गरीब आदिवासी बच्चों का शोषण किया जाना पाया गया। प्राथमिक स्तर के छात्रों से रू. 700/– पूर्व माध्यमिक स्तर

Scanned with CamScanner

(10)

(33)

के छात्रों से रू. 800/- तथा हाईस्कूल स्तर के बच्चों से रू. 900/- प्रतिमाह शुल्क के रूप में वसूल की जा रही है। जबकि शासन द्वारा संचालित आदिवासी छात्रावासों में संपूर्ण सुविधा निःशुल्क प्रदाय किए जाने का प्रावधान है। जिससे आदिवासी छात्र वंचित किए गए हैं।

अनावेदक ललितेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव आ0 श्री सुमेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव निवासी फुन्दुरूडिहारी महुआपारा मूलतः उत्तरप्रदेश के निवासी होने तथा राजनैतिक संरक्षण प्राप्त कर जल संसाधन संभाग कमांक–01 के उप संभाग–02 में टाईम कीपर/समयपाल के पद पर फर्जी रूप से स्थाई शासकीय नौकरी प्राप्त कर लिए जाने के प्रश्न पर उनके विभाग से ही जॉच कराया जाना उचित प्रतीत होता हैं। उल्लेखनीय है कि वे दिनांक 31 जुलाई 2013 को सेवा निवृत्त भी हो चुके हैं।

उक्तानुसार जॉच प्रतिवेदन महोदय के अवलोकन हेतु प्रस्तुत है। प्रतिवेदन अनुसार अपात्र संस्था को शासकीय अनुदान प्रदाय किया जाना पाया गया है। जिस पर समुचित कार्यवाही हेतु शासन के संबंधित विभाग को प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही तत्कालीन विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, सीतापुर जिला सरगुजा एवं शंकरढ़ जिला बलरामपुर–रामानुजगंज के विरूद्ध इस कार्यालय के स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहपत्रः– परिशिष्ट–एक से
उन्नीस तक

(ए0पी0 सांडिल्य)
उपायुक्त(वि.)
सरगुजा संभाग,सरगुजा
अम्बिकापुर छ0ग0

Scanned with CamScanner